चोरी, लूट व डकैती की सात वारदातों का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई कर 15 लाख का माल बरामद किया

नदबई, (निसं)। थाना क्षेत्र में घटित हुई चोरी लूट व डकैती की सात वारदातों का खुलासा करते हुए करीब 15 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद करने के साथ चार आरोपियों गिरफ्तार किया है। जबकि चार नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का मुख्य बाजार में जुलूस निकाला गया।

मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि नदबई कस्बे में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही थी और लोगों में चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने के चलते पुलिस के प्रति भारी रोष था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की विशेष टीम ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से पूछताछ कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को चिन्हित कर नजर रखना शुरू किया। नदबई पुलिस के द्वारा अलग-अलग स्थानो पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नगदी, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद करने के साथ करीब 15 लाख रुपए का माल बरामद किया है व अन्य सामान के बरामदी के प्रयास किए जा रहे है।

नदबई थाना क्षेत्र में घटित हुई चोरी लूट व डकैती की सात वारदातों का खुलासा करते हुए करीब 15 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद करने के साथ चार आरोपियों गिरफ्तार किया है।

- पुलिस ने चार आरोपियों के अलावा चार नाबालिकों को भी निरुद्ध किया है

पुलिस ने चार आरोपियों के अलावा चार नाबालिकों को भी निरुद्ध किया है। वही गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रूपेश उर्फ ओपी पुत्र गंगाराम , अशोक पुत्र रामनिवास , राघव पुत्र वीरेंद्र , दीपशिखर उर्फ लाला पुत्र हरेंद्र पाल सिंह नदबई कस्बे के निवासी के रूप में हुई है। वही जानकारी के मुताबिक यह सभी आरोपी मौज मस्ती के चलते चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का पुलिस के द्वारा मुख्य बाजार में जुलूस निकाला गया।

जोधपुर में महाधिवक्ता कार्यालय का शुभारंभ

न्याय क्षेत्र को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

जोधपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में सबसे पहले राजस्थान में कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए, जिनकी पूरे देश में चर्चा है। इनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, गिग वर्कर्स एक्ट, स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे ऐतिहासिक फैसले हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार न्याय क्षेत्र को और अधिक सुदृढ करने के लिए संसाधनों और सुविधाओं के विस्तार में प्रयासरत है।

गहलोत सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में महाधिवक्ता कार्यालय के नवीन भवन उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में नए हाईकोर्ट भवन के लिए 110 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके बाद भी प्राप्त सुझावों के अनुरूप आधारभूत विकास और बहुआयामी विस्तार के लिए स्वीकृतियां दी गई। आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब 50 जिलों का हो गया है। ऐसे में न्याय क्षेत्र में विस्तार की दृष्टि से सेवाओं और सुविधाओं में व्यापक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 200 से अधिक नए न्यायालय खोले और क्रमोन्नत किए हैं। इससे परिवादियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुगम हो रहा है।

गहलोत ने कहा कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जाए। लम्बित मामलों के कारणों पर भी गंभीर चिन्तन होना चाहिए। साथ ही, राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को फास्ट कोर्ट बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लिटिगेशन पॉलिसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने हाईकोर्ट में हर माह अंतिम तारीख को होने वाली हड़ताल को खत्म करने का आहवान किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान मिशन-2030 में अभी तक 2 करोड़ लोगों ने सपनों के राजस्थान के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए न्यायाधीश और अधिवक्ता भी अपने सुझाव दें। इन्हें विजन-2030 डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। गहलोत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायाधीश विजय बिश्नोई के साथ लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। साथ ही, महाधिवक्ता चैम्बर तथा भवन में सुविधाओं का अवलोकन किया।

यह भवन 22.55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस दौरान भवन निर्माण में अहम भूमिका निभाने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में सभी को प्रयास करने होंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने कहा कि सबसे बड़ा पक्षकार राज्य सरकार होती है, ऐसे में यह महाधिवक्ता कार्यालय अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। समारोह में राजस्थान के महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी और अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने भी सम्बोधित किया।

पी.एम. के लिफाफे से निकले 21 रुपए

आठ माह बाद देवनारायण मंदिर का दान पात्र खुला

आठ माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुर्जर समुदाय के आराध्य श्री देवनारायण के अवतरण दिवस पर मंदिर के दर्शन करने आए थे।

भीलवाड़ा, (निसं)। गुर्जर समुदाय के आराध्य श्री देवनारायण के 1111 वें अवतरण दिवस पर भगवान के दर्शन करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के दान पात्र में एक बंद लिफाफा भेंट किया, जिसको लेकर पिछले 8 महीनों से गुर्जर समुदाय में व्याकुलता बनी हुई थी।

आम जनमानस में इस लिफाफे के रहस्य को लेकर यह कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट की उस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दान पत्र में डाले गए लिफाफे में कोई बड़ी राशि या मंदिर के विकास को लेकर कोई बड़े सहयोग का प्लान पीएम मोदी की तरफ से हो सकता है। इसी आशा और विश्वास में गुर्जर समुदाय दान पात्र खोलने की तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बड़े इंतजार और अरमानों से वह घड़ी आज 25 सितंबर को आई जब मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए ट्रस्टियों ने बड़े उत्साह से आज दान पत्र के इस लिफाफे को सार्वजनिक रूप से खोला तो उसमें 21/-रुपए निकाले।

लिफाफा के भीतर से जब 20/- रुपए का एक नोट और एक रुपए का एक सिक्का निकला तो किसी शायर की वह पंक्तियां याद आ गई जिसमें कहा गया है "बहुत शोर सुनते थे पहलू ए दिल का... जो चीरा तो कतरा ए खून निकला"।

प्रधानमंत्री के लिफाफे से निकले 21 रुपए के दान के रहस्य को अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि देश के सबसे बड़े शक्तिशाली राजनेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर जहां करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए और मोदी को सुनने के लिए भीलवाड़ा ही नहीं देशभर से गुर्जर समुदाय के लाखों लोग जमा हुए तो भी मोदी ने देव डूंगरी कॉरिडोर की घोषणा क्यों नहीं की और लिफाफे में 21/-रु. रखकर क्या संदेश दिया गया, इसलिए अब दिल मसोस कर आयोजक यही कह रहे हैं कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" हम क्या करें।

निजी स्कूल संचालकों ने सौंपा ज्ञापन

गंगापुर सिटी, (निसं)। निजी स्कूलों के संचालकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को सीएम सलाहकार व विधायक रामकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष डॉ. अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि गत विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में निजी स्कूलों की 6 सूत्रीय मांगें शामिल की गई थी। लेकिन उनमें से अब तक एक भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी मांगे पूरी करने के लिए कई ज्ञापन सौंपे गए लेकिन मांगे फिर भी अधूरी रही। उन्होंने बताया कि स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन करने, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति निजी स्कूलों में प्रारंभ करने, होनहार विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने, आरटीई का पैसा समय पर भुगतान करने सहित कई मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। विधायक रामकेश मीणा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संगठन की मांगों को पूरी करने की बात कही है।

जिला बनाने की मांग के समर्थन में 177वें दिन धरना जारी

सुजला महासत्याग्रह की ओर से धरना लगातार जारी

सुजानगढ़, (निसं)। सुजला जिला बनाने के लिए सुजला महासत्याग्रह द्वारा 177वें दिन सोमवार को भी धरना लगातार जारी रहा। धरने का नेतृत्व एडवोकेट मनीष गोठडिया व महावीर खटीक द्वारा किया गया।

इस अवसर पर किशोरदास स्वामी ने कहा कि सुजला जिला नहीं बनने से सुजला वासियों में भारी आक्रोश है। श्रीराम भामा ने कहा कि यदि सुजला जिला नहीं बना तो सुजला क्षेत्र से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पडेगा। यूसुफ गौरी, भगवती प्रसाद सोनी ने भी अपने विचार रखे।

संतोष सोनी, आदिल, रणजीत सिंह, कुन्दनमल सोनी, गोविंद जोशी, गोपाल मोयल, ओमप्रकाश सेवादार, हाजी हाकम अली खान, विकास सैन, राधेश्याम रैगर, अशोक टाक, मोहनलाल सांसी, महेश माली, भंवरलाल गिलाण, राजकुमार सैन, रूपाराम सांसी, धनराज प्रजापत, मोहित प्रजापत, अमरचंद, असलम खिलजी, दीनदयाल सैन, गोविंदराम, अब्दुल वकास गौरी, अब्दुल वाहिद बेहलिम, किशोर सिंधी, रमेश कुमार सहित अनेक धरनार्थी उपस्थित रहे।

सुजानगढ जिले की मांग के समर्थन में नारेबाजी करते धरनार्थी।

इनामी बदमाश साथी सहित गिरफ्तार

गुड़ामालानी, (निसं)। गुड़ामालानी थाना पुलिस की टीम ने 5 हजार के इनामी वांछित अपराधी कुंभाराम जाट निवासी मंगले की बेरी थाना रागेश्वरी को उसके साथी रमेश कुमार बिश्नोई निवासी बोरली थाना गुड़ामालानी समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, मैगजीन, चार जिंदा कारतूस और एक बिना नम्बरी कार बरामद की है।

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की तलाश और धर पकड़ के लिए एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल सिंह व सीओ देवी सहाय मीणा के सुपरविजन में टीम कार्रवाई कर रही है। इसी के अंतर्गत सूचना मिली कि थाना रागेश्वरी के एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में वांछित पांच हजार का इनामी बदमाश बोरली गांव में अपनी जानकार के यहां छुपा हुआ है।

- एक पिस्टल, मैगजीन मय चार जिंदा कारतूस व बिना नम्बरी कार बरामद

सूचना पर गुड़ामालानी एसएचओ सुरजा राम चौधरी मय टीम द्वारा दबिश देकर बोरली गांव से इनामी बदमाश कुंभाराम जात में उसके सहयोगी रमेश कुमार विश्नोई को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में सीओ ऑफिस के कांस्टेबल ड्राइवर इमरता राम व थाना गुड़ामालानी के कांस्टेबल श्याम दान की विशेष भूमिका रही।

अजमेर में आज खुलेगी उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच

उपभोक्ताओं को अब नहीं लगाने पड़ेंगे जयपुर के चक्कर

अजमेर, (कासं)। अजमेर संभाग मुख्यालय पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ मंगलवार को होगा, अब अजमेर के उपभोक्ताओं को जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ मंगलवार को न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर समारोह पूर्वक करेंगे। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा समारोह की तैयारियां की जा रही है।

सर्किट बेंच प्रभारी न्यायाधीश रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर को बनाया गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच में अजमेर संभाग के अजमेर, केकड़ी, ब्यावर,शाहपुरा, डीडवाना.कुचामन, नागौर सहित अजमेर सम्भाग के मामलों की सुनवाई की जाएगी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच अजमेर में आरम्भ होने से अब जयपुर नही जाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 20 सालों से अजमेर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सर्किट बेंच शुरू करने की मांग अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा लगातार की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है।

अजमेर में सर्किट बेंच के शुरू होने पर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर का आभार जताया है।

'पी.एम.''राइट टू सिक्योर'' बिल लागू करें'

जोधपुर, (कासं)। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री राइट टू सिक्योर बिल को लागू करें। जिससे आम जनता को अपनी सिक्योरिटी मिल सकें। वे किसी के प्रति दुर्भावना से कार्य नहीं कर रहे। संजीवनी घोटले पर प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री शेखावत से बात करनी चाहिए, यह उनका दायित्व है। आज डेढ लाख लोगों का करोड़ों रूपया फंसा है। मैं चाहता हूं कि वो जनता को वापिस मिलें। यह बात आज उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से संवाद में कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह से जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में कांग्रेस के प्रति लहर चल रही है। जनता सब समझती है। बीजेपी वाले कितना ही जोर लगा दें इस बार वे सत्ता में नहीं आ पाएंगे।

भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा मुख्यमंत्री की तारिफ के सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वे भाजपा की सबसे बुजुर्ग नेता है और वरिष्ठ है। उनका आशीर्वाद रहा है। उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार कहा है, उनकी उम्र को लेकर उनकी पार्टी के लोगों ने जो कहा वह निंदा करने जैसा है। सूयकांता व्यास का आशीर्वाद सदैव रहा है। उनसे आत्मीयता के संबंध है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम लोककल्याणकारी योजनाओं के तहत कार्य कर रहे है।

- संजीवनी केस पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, प्रधानमंत्री का दायित्व केंद्रीय मंत्री से केस पर बात करें, मेरी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं
- मैं चाहता हूं कि जनता को वापिस मिलें : गहलोत

पब्लिक कल्याण हो ऐसा हमरा ध्येय है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे चाहे जितनी मिटिंगे कर लें या रैलियां निकाल लें जनता सब जानती है। प्रधानमंत्री सातवीं बार राजस्थान आ चुके है। कई मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए है। बीजेपी कितने ही तामझाम कर लें, प्रचार कर लें मगर मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी।

कार नदी में गिरी, हादसे में दंपती की मौत

उदयपुर, (कासं)। बाघपुरा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार पुलिया से नीचे जा गिरी। दुर्घटना में पानी में डूबने से दम्पत्ति की मौत हो गई जबकि पुत्र घायल हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सवेरे बाघपुरा थाना क्षैत्र सेलाना मोड़ पर वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुर कार पुलिया से करीब 15 फीन नीचे पानी में गिर कर पलट गई। सूचना मिलने पर बाघपुरा थानाधिकारी कर्मवीरसिंह, एएसआई हेमेन्द्र, कांस्टेबल सुरेश, हाइवे मोबाईल हेडकांस्टेबल नानलाल मय टीम ने मौके पर पहुंच कर पानी में डूबी कार से महेन्द्र कोठारी (61) पुत्र पदम कोठारी, मंजू (55) पत्नी महेन्द्र कोठारी तथा शैलेश (35) पुत्र महेन्द्र को बाहर निकाल उदयपुर एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने महेन्द्र व उसकी पत्नी मंजू को मृत घोषित कर दिया तथा घायल को भर्ती कर उपचार शुरू किया। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पुत्र शैलेश माता मंजू की तबियत खराब होने पर पिता महेन्द्र के साथ कार में उदयपुर चिकित्सालय जा रहा था। जहां बीच रास्ते में हादसा हो गया।

केंद्र सरकार से ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण की जटिल शर्तों के सरलीकरण की मांग

ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रेसवार्ता कर मांग की

अजमेर, (कासं)। ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण संघर्ष समिति अजमेर के बैनर तले ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण में आने वाले ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, सिंधी और पठान शेख समाज के प्रमुख सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को संयुक्त प्रेसवार्ता कर केन्द्र सरकार से राजस्थान सरकार की तर्ज पर ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण करने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की चेतावनी भी दी।

संघर्ष समिति संयोजक सदस्य सुदामा शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 20 जनवरी 2019 को अनारक्षित वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें भूमि भवन से संबंधित जटिल शर्तों को रखा गया, जिससे आरक्षण का लाभ अनारक्षित वर्गों को नहीं मिल सका और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इन जटिल शर्तों के कारण ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण प्रमाण पत्र जारी कर सके। इन सभी जटिलताओं के मद्देनजर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोककल्याणक कदम उठाते हुए ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण से जुड़ी अव्यवहारिक शर्तों का सरलीकरण करते हुए 20 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर भूमि व भवन से संबंधित सभी शर्तों का सरलीकरण कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण में आने वाली जातियों के प्रशासनिक स्तर पर प्रमाण पत्र लगने, सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस में आने वाली जातियों के युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्य अशोक गहलोत और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ का आभार जताया।

संघर्ष समिति सदस्य सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह कड़ेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अन्य आरक्षित वर्ग की ई.डब्ल्यू.एस वर्ग को भी सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की आयु सीमा छूट व प्रमाण पत्र की वैध अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की तथा राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना, डीबीटी वाउचर योजना तथा इंजीनियरिंग सेवा में ई.डब्ल्यू.एस पुरुष को आयु सीमा में 5 वर्ष व महिला को 10 वर्ष की छूट प्रदान कर रखी है। संघर्ष समिति सदस्यों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा किए ई.डब्ल्यू.एस वर्ग भारतीय जनता का वोट बैंक रहा है फिर भी भाजपा उनकी उचित मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस वर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों, सांसदों, सदस्यों व जन प्रतिनिधियों से मांग की कि समय रहते यदि प्रदेश सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए मांग को पूरा करवा समाज को अनुग्रहित कराए ताकि केन्द्र सरकार की नौकरियों व योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो ई.डब्ल्यू.एस वर्ग में सम्मिलित सभी समाज एकजुट होकर प्रदेश में आन्दोलन कर आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भाजपा का बहिष्कार करेंगे।

- मांग नहीं माने जाने पर चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की चेतावनी दी

प्रेस वार्ता में अग्रवाल समाज से डॉ. विष्णु चौधरी अध्यक्ष अग्रोहा बंधु पश्चिम सेवा संस्थान अजमेर, अशोक पंसारी प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मलेन, गिरधारी लाल मंगल जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मलेन, डॉ. सुरेश गर्ग समाजसेवी अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज से सुदामा शर्मा अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर, राजीव शर्मा वरिष्ट उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, मोहनलाल पारीक पूर्व अध्यक्ष पारीक समिति अजमेर, राधेश्याम पारीक अध्यक्ष पारीक सेवा समिति अजमेर, विवेक पराशर लोक अभियोजक अजमेर, राजपूत समाज से सुमेर सिंह अध्यक्ष राजपूत छात्रावास अजमेर, महेंद्र सिंह कड़ेल अध्यक्ष जयमल कोट पुष्कर, सुरेन्द्र सिंह थेबडी अध्यक्ष राजवंश संस्थान लोहागल अजमेर, नरेन्द्र सिंह जालमपुरा अध्यक्ष एडवोकेट्स बार एसोसियन अजमेर, सिन्धी समाज से डॉ.लाल थदानी, मोहन चेलानी, राजेश आनंद, कायस्थ समाज प्रतिनिधि कल्पना भटनागर, पठान शेख समाज से नासिर खान और नजर खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।